1089/CB
13/9/2023

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

संदेश

हिन्दी दिवस

14 सितंबर 2023

हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं !

भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी राजभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। यद्दपि विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां भारत की पहचान हैं और सभी भाषाओं का समृद्ध इतिहास है और समृद्ध साहित्य है और बहुत संख्या में बोलने वाले भी मौजूद हैं, परंतु पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम हिन्दी ने बखूबी किया है और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

अतः संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। अतः सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी में कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व है।

आइए, हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम राजभाषा और जन भाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए जिला न्यायालय में यथासंभव योगदान करें।

(रेनू भटनागर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

संदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

संख्या 1088-1112 /हिन्दी/शाह./क०क०डू/दिल्ली/2023 दिनांक: 13/09/2023

1. निजी सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शाहदरा) कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त न्यायिक अधिकारी, जिला न्यायालय, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण, जिला न्यायालय, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), कंप्यूटर शाखा, कड़कड़डूमा न्यायालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, शाहदरा जिला को लेयर्स (LAYERS) पर अपलोड करने हेतु।

देव चौधरी

लिंक नोडल अधिकारी हिन्दी (शाहदरा)
केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति
जिला न्यायालय, दिल्ली